

पत्रांक-अ०स०क०-06-04/2025.....

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी
विशेष सचिव सह निदेशक

सेवा में,

सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
—सह—
निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:— मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में सभी जिलों को कुल ₹2408.10/-
(चौबीस करोड़ आठ लाख दस हजार रुपये) मात्र आवंटन के संबंध में।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत जिला के सामने अंकित राशि के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में योग्य लाभार्थियों के लाभान्वित करने हेतु राशि आवंटित की जाती है।

क्र० सं०	जिला का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1	अररिया	95.70
2	अरवल	13.65
3	औरंगाबाद	43.35
4	बाँका	25.65
5	बेगूसराय	90.90
6	भागलपुर	57.15
7	भोजपुर	35.40
8	बक्सर	16.05
9	दरभंगा	151.20
10	गया	99.60
11	गोपालगंज	93.45
12	जमुई	24.15
13	जहानाबाद	12.30
14	कैमूर	26.40
15	कटिहार	144.45
16	खगड़िया	25.50
17	किशनगंज	94.35
18	लखीसराय	7.65
19	मधेपुरा	18.60
20	मधुबनी	85.95
21	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	135.75

क्र० सं०	जिला का नाम	राशि (रुपये में)
22	गुंगेर	15.60
23	मुजफ्फरपुर	133.05
24	गोलन्दा	34.65
25	गवादा	61.05
26	पटना	89.25
27	पूर्णिया	96.75
28	रोहतास	53.85
29	सहरसा	30.30
30	समस्तीपुर	86.70
31	सारण	70.65
32	शेखपुरा	8.85
33	शिवहर	16.50
34	सीतामढ़ी	116.10
35	सिवान	106.65
36	सुपौल	28.20
37	वैशाली	57.60
38	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	105.15
कुल :-		₹2408.10

कुल ₹2408.10 /—(चौबीस करोड़ आठ लाख दस हजार रुपये)

- उपर्युक्त आवंटित राशि राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष 2202--सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष--02 माध्यमिक शिक्षा लघु शीर्ष 107--छात्रवृत्तियाँ गांग संख्या--30, उप शीर्ष--0109--मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (विपत्र कोड 30--2202021070109) विषय शीर्ष--34. छात्रवृत्ति/वजीफा, विषयशीर्ष--02--प्रोत्साहन के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025--26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत समय समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के प्रोत्साहन राशि का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने स्तर से CFMS के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सम्बद्ध बैंक खाता में जमा करेंगे। अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की आवश्यक कागजात/विवरणी प्राप्त कर जॉचोपरांत CFMS के माध्यम से नियमानुसार अंतरित किया जाय एवं यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त योजनान्तर्गत लाभुकों की द्विरावृत्ति नहीं हो।
- उक्त राशि की निकासी निकासी-सह-व्ययन पदाधिकारी द्वारा बी0टी0सी0 फार्म--43 पर किया जायेगा। जिसे कोषागार संहिता के नियम 272 में उल्लेखित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- इस स्वीकृत्यादेश में सन्निहित राशि की निकासी के मामले में वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0 (2) दिनांक--16.05.2013 की सभी कड़िकाओं का अनुपालन करना अपेक्षित होगा।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक--2561, दिनांक--17.04.1998 तथा समय-समय पर राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाज

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- अ०स०क०-06-04/2025...../ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वीरचंद पटेलपथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ई-मेल

ज्ञापांक :- अ०स०क०-06-04/2025...../ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ई-मेल

ज्ञापांक :- अ०स०क०-06-04/2025...../ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- अ०स०क०-06-04/2025...../ पटना, दिनांक

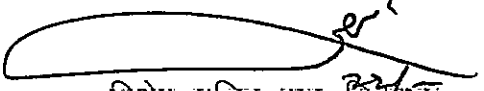
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- अ०स०क०-06-04/2025...101.../ पटना, दिनांक 22/05/25

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आपा सचिव/बजट शाखा-4/आई०टी० मैनेजर/गार्ड फाईल में संधारण हेतु निर्गत शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव-सह-निदेशक